(कार्यालय उपयोग हेतु)

कृषि विभाग राजस्थान DOA

राजस्थान सरकार

मुख्यमंत्री बजट घोषणा की क्रियान्विति हेतु

परम्परागत कृषि विकास योजना
(पी.के.वी.वाई.)

सहभागिता प्रतिभूति प्रणाली आधारित(पी.जी.एस.)
के क्रियान्वयन हेतु

मार्गदर्शी दिशा-निर्देश

वर्ष 2016-17

कृषि आयुक्तालय, पंत कृषि भवन, जनपथ, राजस्थान, जयपुर

राजस्थान सरकार
कृषि आयुक्तालय,पंत कृषि भवन, जयपुर

दूरभाष नं. 0141–5101965 ई–मेल jdagr atc1@rediffmail.com

क्रमांकः– एफ8(5) आ.कृ/पी.के.वी.वाई II/दि.नि/2016–17/ 1595–1651 दिनांकः– 16/06/2016

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद उदयपुर,
   प्रतापगढ, बासंवाडा, डूगंरपुर, बीकानेर, नागौर, चुरू,
   जोधपुर, बाड़मेर, झालावाड एवं जैसलमेर
2. उपनिदेशक कृषि (विस्तार), जिला परिषद
   उदयपुर, प्रतापगढ, बासंवाडा, डूगंरपुर, बीकानेर, नागौर, चुरू,
   जोधपुर, बाड़मेर, झालावाड एवं जैसलमेर

विषय :– मुख्यमंत्री बजट घोषणा के तहत परम्परागत कृषि विकास योजना (पी.के.वी.वाई) अन्तर्गत वर्ष 2016–17 में जैविक खेती कार्यक्रम के कियान्वयन हेतु दिशा–निर्देश एवं भौतिक लक्ष्य बाबत्।

माननीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा वर्ष 2016–17 हेतु यह बजट घोषणा की गई है कि प्रदेश के मरूस्थलीय एवं जनजाति क्षेत्रों में वर्षा आधारित खेती परंपरागत तरीकों से की जाती रही है। इन क्षेत्रों में उदयपुर, प्रतापगढ, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बीकानेर, चुरू, नागौर, जोधपुर, बाड़मेर झालावाड़, एवं जैसलमेर जिलों के एक–एक विकास खण्ड को पूर्ण रूप से जैविक खेती में बदलने हेतु विशेष योजना बनाकर पायलट बेसिस पर कार्य प्रारंभ किया जायेगा। यह कार्यक्रम खरीफ 2016 से शुरू किया जाकर आगामी 5 वर्षो 2020–21 तक विकास खण्ड को पूर्ण जैविक बनाने का लक्ष्य रखा गया है। जिलेवार विवरण परिशिष्ट–1 पर संलग्न हैं।

बजट घोषणा के अनुसार प्रत्येक चयनित विकास खण्ड में ग्राम पंचायतो का चयन आवंटित कलस्टर संख्या अनुसार सम्बन्धित उपनिदेशक कृषि (वि0) जिला परिषद द्वारा किया जायेगा। जितनी भी ग्राम पचांयतो का चयन किया उसके शत प्रतिशत कृषकों को योजना में शामिल किया जाकर कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जावे तथा चयनित कृषक एवं ग्राम पंचायत् में लगाातर तीन वर्षो तक यह कार्यक्रम क्रियान्वित किया जाना है। आागामी वर्ष में उक्त चयनित ग्राम पंचायत के साथ अन्य ग्राम पंचायत का चयन किया जाना है। इस प्रकार प्रति वर्ष पंचायत समिति/ विकास खंण्ड के क्षेत्र को शामिल करते हुए तीन वर्ष में सम्पूर्ण पंचायत समिति/ विकास खण्ड में यह कार्यक्रम चलाया जायेगा। तथा आगामी 5 वर्षो में सम्पूर्ण ब्लॉक को जैविक ब्लॉक के रूप में परिवर्तित किया जाना है। भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष प्राप्त लक्ष्यों अनुसार राशि परम्परागत कृषि विकास योजना से उपलब्ध करायी जावेगी इस प्रकार वर्ष 2016–17 की योजना तैयार कर क्रियान्वित हेतु भेजी जा रही है।

वर्ष 2017–18 एवं 2018–19 तक सभी ग्राम पंचायतो में कार्यक्रम क्रियान्वित किया जाना हैं। अतः आगामी दो वर्ष में विकास खण्ड/ पंचायत समिति कितने कलस्टर बनाये जाकर कार्य किया जाना है, की योजना सम्बन्धित उपनिदेशक कृषि (विस्तार), जिलापरिषद तैयार कर परिशिष्ट–2 में दिनांक 15 अगस्त 2016 तक आयुक्तालय को प्रस्तुत करेंगे।

परम्परागत खेती में रासायनिक उर्वरकों, खरपतवार नाशकों व कीटनाशकों के बढते उपयोग के कारण भूमि एवं वातावरण में हानिकारक तत्वों की मात्रा में बढोतरी हो रही है जिसके कारण पर्यावरण, मृदा, उर्वरता तथा मानव स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड रहा है। पर्यावरण व उपभोक्ता

के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए कृषि में रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों के अंधाधुध प्रयोग को हतोत्साहित करने के लिए जैविक खेती को बढावा दिया जाना आवश्यक है।

उदयपुर, प्रतापगढ, बासंवाडा, डूगंरपुर, बीकानेर, नागौर, चुरू, जोधपुर, बाड़मेर, झालावाड एवं जैसलमेर जिलो के चयनित एक–एक विकास खण्ड को पूर्णरूप से जैविक खेती में बदलने का कार्य किया जाना है। यह कार्य पी.के.वी.वाई. के तहत किया जाना है। इस योजना का कियान्वयन चयनित विकास खण्डो में ही किया जावेगा। चयनित विकास खण्डो का विवरण परिशिष्ट–1 पर उपलब्ध है।

इस योजना में जैविक खेती हेतु कृषकों के कलस्टर निर्माण, कृषक चयन,कलस्टर एक्सपोजर विजिट, एलआरपी का चयन, कलस्टर का चयन कर सहभागिता प्रतिभूति प्रणाली आधारित कलस्टर, मृदा नमूनो का संग्रहण एवं परीक्षण, जैविक खेती कृषक प्रशिक्षण, जैविक प्रकिया का रिकॉर्ड संधारण, कलस्टर प्रक्षेत्रो का निरिक्षण, भूमि का जैविक खेती कन्वर्जन, फसल पद्वति एवं जैविक बीज, ढेंचा एवं सनई का प्रयोग तथा वर्मी कम्पोस्ट इकाई का निर्माण आदि गतिविधियों हेतु सहायता का प्रावधान किया गया है। गतिविधिवार विस्तृत दिशा–निर्देश निम्न प्रकार है।

दिशा–निर्देश

उद्देश्यः–

परम्परागत कृषि विकास योजना के अन्तर्गत कलस्टर– एप्रोच एवं पी.जी.एस. सर्टिफिकेशन के माध्यम से जैविक खेती को प्रोत्साहित किया जाता है । इसके द्वारा पर्यावरण संरक्षित कृषि को बढावा दे कर पैदावार में वृद्धि हेतु रासायनिक उर्वरकों पर निर्भतर कम की जा सकती है ।

कलस्टर तथा कृषक चयनः–

जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए कलस्टर चयन हेतु निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए–

1. कार्यक्रम के तहत जिन ग्राम पंचायतो का चयन किया जावे, उस ग्राम पंचायत के समस्त कृषकों को इसमे शामिल किया जाना आवशयक है।
2. कलस्टर का चयन क्षेत्रिय सहायक कृषि अधिकारी/कृषि पर्यवेक्षक द्वारा किया जायेगा।
3. कलस्टर में परम्परागत फसलें तथा उधानिकी फसलें लेने वाले कृषक शामिल हो ।
4. जैविक खेती हेतु इच्छुक कृषक एक ही गांव, नजदीकी गांव या अलग अलग गांव के हो सकते हैं। यथा संभव एक ही गांव में कलस्टर निर्माण से प्रशिक्षण तथा विपणन प्रकिया आसानी से हो सकेगी । चयन संबंधी सूचना परिशिष्ठ 5 में दिए प्रपत्र में भिजवाई जावे ।
5. प्रत्येक कृषक को न्यूनतम एक एकड (0.4 हैक्टेर) से 2.5 एकड़ तक (1 हैक्टेयर) जैविक क्षेत्र हेतु सहायता देय होगी तथा क्षेत्र कम होने पर अनुपातिक सहायता दी जा सकेगी ।
6. लघु/सीमांत कृषकों को प्राथमिकता दी जावे ।
7. जिले की जनसंख्या अनुपात अनुसार इच्छुक अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति कृषकों का समावेश कर 30 प्रतिशत महिला लाभार्थियों हेतु प्रयास किए जाने चाहिए ।

8. ऐसे क्षेत्रों को प्राथमिकता देवे जिन क्षेत्रों में फसलों में कम उर्वरकों का प्रयोग किया जाता हो ।

9. बारानी क्षेत्रों में जहां उर्वरक व रासायनों का न्यूनतम प्रयोग होता हो ।

10. ऐसे क्षेत्रों का चयन प्राथमिकता से किया जावे जिन क्षेत्रों में खेती परम्परागत तरीकों से की जाती हो ।

11. चयनित कृषक द्वारा खरीफ, रबी एवं जायद में कोई भी परम्परागत फसल/उधानिकी फसल ली जा सकती है ।

12. कृषकों द्वारा चयनित क्षेत्र में शपथ लेने उपरांत कोई रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, खपतवार नाशक, वृद्धि नियामक आदि का प्रयोग नहीं किया जायेगा ।

13. योजनान्तर्गत देय सहायता के अतिरिक्त शेष राशि स्वयं कृषकों के द्वारा वहन की जायेगी ।

कलस्टर क्षेत्रफलः–

योजना राज्य के चयनित 11 जिलों में कियान्वित की जायेगी । योजना का कियान्वयन कलस्टर आधारित होगा जिसमें एक कलस्टर 50 एकड क्षेत्र का होगा तथा कलस्टर में 50 कृषक शामिल होंगे । जिलेवार आंवटित कलस्टर का विवरण परिशिष्ठ–1 पर उपलब्ध है ।

कलस्टर निर्माण हेतु बैठक का आयोजनः–

जैविक कलस्टर निर्माण में कृषकों से चर्चा हेतु सहायक कृषि अधिकारी/कृषि पर्यवेक्षक द्वारा 02 बैठकों का आयोजन किया जायेगा । इस हेतु रू. 200/– (प्रति कृषक) की दर से व्यय किए जाने का वित्तीय प्रावधान रखा गया है । बैठक में चयनित कृषकों की सूची तैयार की जायेगी। इस राशि का उपयोग बैठक व्यवस्था, चाय, नाश्ता, भोजन आदि हेतु किया जायेगा । यह प्रक्रिया जिलों द्वारा 15 अगस्त 2016 तक पूर्ण कर ली जावे । पी.जी.एस. आधारित चयनित कृषकों को 03 वर्ष तक जैविक खेती हेतु विभिन्न गतिविधियों के लिए सहायता दी जायेगी । बैठक आयोजन उपरांत कलस्टर क्षेत्र के कृषकों संबंधित सूचना प्रपत्र–2 में भरकर कृषि आयुक्तालय को भिजवाई जावे ।

अग्रणी संसाधन सहायक (एल.आर.पी.) का चयनः– बैठक में प्रत्येक कलस्टर में शामिल कृषकों में से शिक्षित तथा कम्प्यूटर की जानकारी रखने वाले एक अग्रणीय संसाधन युक्त व्यक्ति का चयन कलस्टर सदस्यों द्वारा आम सहमति से किया जायेगा जो समूह का प्रतिनिधित्व करेगा । इस हेतु कृषकों के पारिवारिक सदस्यों मेंसे एल.आर.पी. का चुनाव किया जा सकता है । इस प्रकार चयनित एल.आर.पी. द्वारा निम्न कार्य संपादित किए जाएंगे–

1. कलस्टर के सभी सदस्यों से सहभागिता प्रतिभूति प्रणाली आधारित जैविक खेती करने हेतु प्रतिज्ञा ली जायेगी ।
2. प्रत्येक एल.आर.पी. को विभाग द्वारा प्रशिक्षित किया जायेगा तथा एल.आर.पी. द्वारा कृषकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जावेगा।
3. कलस्टर गतिविधियों हेतु समूह का कार्यालय निर्धारित किया जायेगा जिसका किराया भुगतान प्रशासनिक व्यय में से किया जायेगा।
4. एल.आर.पी. द्वारा प्रत्येक कृषक की फार्म हिस्ट्री तथा डायरी भरकर संधारित की जायेगी।
5. प्रत्येक सदस्य के खेत से मृदा नमूने लेकर प्रयोगशाला में भिजवायें जायेंगे।
6. जैविक खेती हेतु क्षेत्र का निरीक्षण किया जायेगा।